



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

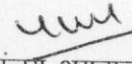
14-अशोक मार्ग शक्ति भवन, लखनऊ

पत्र सं०- 114 - विनियम एवं काविनी / पाकालि/2014-05 विनियम/88

दिनांक 04 अगस्त, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

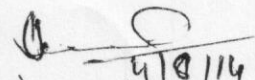
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 20-11-2013 को सम्पन्न हुई 102वीं बैठक में बी०ई०/ए०एम०आई०ई० शैक्षणिक योग्यता वाले अवर अभियन्ता/संगणक से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित 8.33 प्रतिशत कोटा समाप्त करने के लिये गये निर्णय के अनुपालन में जारी कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं० 55-विनियम एवं काविनी/2013-05-विनियम/88 दिनांक 17.07.2014 के क्रियान्वयन को उसकी निर्गमन की तिथि से एतद्द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।


(संजय अग्रवाल)
अध्यक्ष

संख्या : 114 (1)-विनियम एवं काविनी/2014-05-विनियम/88 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०/उ०प्र० रा० वि० उ० नि० लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा/कैसको-कानपुर।
5. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ट्रान्सकों/डिस्काम्स।
9. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्रांक-932/पाकालि/बैठक(102)/2013 दिनांक 09-12-2013 के सन्दर्भ में।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट)।


(जावेद अहमद)
संयुक्त सचिव